–अड़तालीस–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–4584/11–2004–500(35)–2000
लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–317

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0–5–6469/11–2002–500(35)–2000, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 में आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी छूट, उपर्युक्त अधिसूचना में उल्लिखित निकायों द्वारा ऐसे आवंटियों के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2005 तक आवंटित स्थावर सम्पत्ति के विरुद्ध अपने सम्पूर्ण देयों का भुगतान कर दिये हों।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-4584/XI-2004-500(35)-2000 dated August 16, 2004 for general information :

No. K.N.-5-4584/XI-2004-500(35)-2000
Lucknow, Dated August 16, 2004
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial midification of Government notification no. K.N.-5-6469/XI-2002-500(35)-2000, dated November 12, 2002, the Governor is pleased to direct that the exemption granted by the aforsaid notification shall be effective on the instruments executed by the bodies mentioned in the aforesaid notification in favour of the allottees who have paid their entire dues against the allotted immovable property up to March 31, 2005.

By order,
Sd/- Illegible
RITA SINHA
Pramukh Sachiv.